



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 133-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 9, 2018 (SRAVANA 18, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 9th August, 2018

No. 23 HLA of 2018/47/17727.— The YMCA University of Science and Technology Faridabad (Amendment) Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 23 - HLA of 2018

YMCA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FARIDABAD (AMENDMENT) BILL, 2018

A

BILL

further to amend YMCA University of Science and Technology Faridabad Act, 2009.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|---|---|
| 1. This Act may be called YMCA University of Science and Technology Faridabad (Amendment) Act, 2018. | Short title. |
| 2. In the long title of YMCA University of Science and Technology Faridabad Act, 2009 (hereinafter called the principal Act), for the words “YMCA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FARIDABAD”, the words and signs “J.C. BOSE UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, YMCA, FARIDABAD” shall be substituted. | Amendment of long title of Haryana Act 21 of 2009. |
| 3. In the short title of the principal Act, for the words “YMCA University of Science and Technology Faridabad”, the words and signs “J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad” shall be substituted. | Amendment of short title of Haryana Act 21 of 2009. |
| 4. In clause (n) of section 2 of the principal Act, for the words “YMCA University of Science and Technology Faridabad”, the words and signs “J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad” shall be substituted. | Amendment of section 2 of Haryana Act 21 of 2009. |
| 5. In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, for the words “YMCA University of Science and Technology, Faridabad”, the words and signs “J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad” shall be substituted. | Amendment section 3 of Haryana Act 21 of 2009. |

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

YMCA University of Science and Technology Faridabad was established by an Act of Legislature of State of Haryana (Act 21 of 2009) by upgrading erstwhile YMCA Institute of Engineering, Faridabad to facilitate and promote the studies and research in emergent areas of higher education with focus on new frontiers of Science, Engineering & Technology, Management Studies, non-conventional energy resources and environmental studies, and also to achieve excellence in these and connected fields.

Before the University came into being, it was started in 1969 as an Indo-German project with an aim to impart technical education and started offering diploma courses with intake of 120 students. The State Govt. provided land of 20 acres for construction of teaching block, hostels and residential campus. The State Govt. started funding 100% grant in aid w.e.f. 1994 onwards and subsequently took over in 1998. It started offering B.Tech. course from the session 1996-97 with annual intake of 240 students. Subsequently, the YMCA institute of Engg., Faridabad has been upgraded into a leading, teaching-cum-affiliating State University to facilitate and promote studies and research in UG/PG courses which were subsequently added. Since the YMCA University of Science & Technology Faridabad is getting 100% grant-in-aid, so the executive council of the University considered that the name of this University should be suitably replaced in a manner to be identifiable as a Govt. University and hence resolved to recommend the name as "J.C. Bose University of Science & Technology, YMCA, Faridabad."

The University is strategically located in national Capital Region (NCR) on Delhi-Mathura National Highway and has acquired a strong base of core disciplines with qualified faculty. It is recently accredited by national Assessments and Accreditation Council (NAAC) and awarded "A grade". Further, it is ranked no. 1 among State Govt. Engineering Institutions by national Institutions Ranking Framework (NIRF) in 2017. Today, it stands proud and tall having built for itself enviable reputation, view can match. Moving towards establishing itself as an acclaimed leader in technical education, this University can act as a catalyst for up-gradation and improvement in Technical Education by being a teaching cum affiliating University.

In view of the above, it has been decided that the name of the University be amended from YMCA University of Science & Technology Faridabad to J.C. Bose University of Science & Technology, YMCA, Faridabad and to amend the act accordingly.

RAM BILAS SHARMA,
Technical Education Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 9th August, 2018.

R.K. NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2018 का विधेयक संख्या – 23 एच.एल.ए.

वाई०एम०सी०ए० विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद (संशोधन)

विधेयक, 2018

वाई०एम०सी०ए० विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद

अधिनियम, 2009 को आगे संशोधित

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :-

1. यह अधिनियम वाई०एम०सी०ए० विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकता है। सक्षिप्त नाम।
2. वाई०एम०सी०ए० विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद अधिनियम, 2009 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत नाम में, "वाई०एम०सी०ए० विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद" शब्दों के स्थान पर, "जे०सी० बोस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वाई०एम०सी०ए०, फरीदाबाद" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2009 के हरियाणा अधिनियम 21 के वृहत नाम का संशोधन।
3. मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में, "वाई०एम०सी०ए० विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद" शब्दों के स्थान पर, "जे०सी० बोस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वाई०एम०सी०ए०, फरीदाबाद" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2009 के हरियाणा अधिनियम 21 के संक्षिप्त नाम का संशोधन।
4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ढ) में, "वाई०एम०सी०ए० विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "जे०सी० बोस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाई०एम०सी०ए०, फरीदाबाद" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2009 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 2 का संशोधन।
5. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, "वाई०एम०सी०ए० विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "जे०सी० बोस विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाई०एम०सी०ए०, फरीदाबाद" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2009 के हरियाणा अधिनियम 21 की धारा 2 का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद की स्थापना हरियाणा राज्य विधायिका (2009 के अधिनियम संख्या 21) के एक अधिनियम से भूतपूर्व वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद के उन्नयन द्वारा विज्ञान, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी, प्रबंधन अध्ययन, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों और पर्यावरण अध्ययन की नई सीमाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उच्च शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने और संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के उद्देश्यों हेतु की गई थी।

विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने से पूर्व, इसकी शुरुआत वर्ष 1969 में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इंडो-जर्मन परियोजना के रूप में हुई थी और 120 विद्यार्थियों की दाखिला क्षमता के साथ डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किये गये थे। राज्य सरकार ने 20 एकड़ भूमि शैक्षणिक खण्ड, छात्रावास तथा आवासीय परिसर के निर्माण के लिए प्रदान की थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1994 से शत प्रतिशत अनुदान सहायता प्रारंभ की गई और इसके बाद, वर्ष 1998 अपने अधीन ले लिया। संस्थान द्वारा वर्ष 1996-97 में वार्षिक 240 विद्यार्थी दाखिला क्षमता के साथ बी.टेक. पाठ्यक्रम शुरू किये गये। इसके बाद, स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन तथा अनुसंधान को सुविधाजनक तथा बढ़ावा देने के लिए वाईएमसीए इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद को अग्रणी शिक्षण-सह-संबद्ध राज्य विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किया गया तथा नये पाठ्यक्रम जोड़े गये।

चूंकि वाईएमसीए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद में 100 प्रतिशत अनुदान सहायता प्राप्त कर रहा है, इसलिए विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद् का मानना है कि इस विश्वविद्यालय का नाम उचित रूप से इस तरह से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि इसे सरकारी विश्वविद्यालय के रूप में पहचान मिले और इसलिए विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 'जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद' रखने का सुझाव दिया गया।

इसलिए उपरोक्त के दृष्टिगत, यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय का नाम 'वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद' से बदलकर 'जे.सी. बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद' किया जाये।

विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनुकूल अवस्थित में स्थापित है तथा मुख्य विषयों के योग्य संकाय सदस्यों के साथ मजबूत आधार रखता है। हाल ही में विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद् (नैक) द्वारा 'ए' ग्रेड मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के इंजीनियरिंग संस्थानों में शीर्ष रैंक दिया गया है। आज यह संस्थान गर्व के साथ खड़ा है और ऊंचाइयों को छूते हुए इसने अपनी अलग प्रतिष्ठा स्थापित की है। तकनीकी शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए अग्रसर, यह विश्वविद्यालय एक शिक्षण सह संबद्ध विश्वविद्यालय बनकर तकनीकी शिक्षा में उन्नयन और सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है।

इसके दृष्टिगत, यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर 'जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद' करने के लिए और इसके अनुरूप अधिनियम में संशोधन के लिए वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद अधिनियम 2009 में संशोधन किया जाये।

राम बिलास शर्मा,
तकनीकी शिक्षा मंत्री,
हरियाणा ।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 9 अगस्त, 2018.

आर. के. नांदल,
सचिव ।